नागरिक समाज की अवधारणा

Dr.Vini Sharma

नागरिक समाज के अन्तर्गत परिवार के बाहर की वे सभी संस्थाएँ आती हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने हितों के संवर्द्धन और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाते हैं। इसके अंतर्गत सभी संस्थाएँ विशेषकर स्वयंसेवी संघ, सामाजिक आंदोलन तथा सार्वजनिक संचार के रूप सम्मिलित हैं।

संक्षेप में, नागरिक समाज राज्य से पृथक होते हुए भी एक समानान्तर क्षेत्र हैं, जहाँ नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए एकत्रित होते हैं। इसके अन्तर्गत मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर, रामलीला कमेटियां, आर्य समाज, सनातन धर्म सभा तथा जातिगत संस्थाएँ जैसे

ाह्मण समाज, लोधी समाज, नारी समाज, धर्मशाला,
विश्वविद्यालय, विधालय, अध्यापकों, वकीलों और डॉक्टरों के
संगठन तथा वे सभी संगठन आते हैं जो विभिन्न व्यक्ति अपने
हितों की रक्षा के लिए बनाते हैं। सारांश के रूप में राज्य और
सरकार को छोड़कर सभी संगठन नागरिक समाज के अन्तर्गत

ये सामाजिक संगठन व्यक्ति और राज्य के मध्य की स्थिति होते हैं। इसके अंतर्गत परिवारिक जीवन तथा आध्यात्मिकता आदि नहीं आती है।

नागरिक समाज राज्य से अलग होते हुए भी एक समानान्तर क्षेत्र हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ नागरिक अपने हितों तथा इच्छाओं के अनुसार इकट्ठे होते हैं।

नागरिक समाज को सामान्य रूप से 'समाज' की अपेक्षाकृत व्यापक अवधारणा से भिन्न समझे जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन और अन्तरमुखी समूह गतिविधियों, जैसे- धार्मिक पूजा, आध्यात्मिकता आदि द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त संकीर्ण समाज को नागरिक समाज के दायरे में नहीं माना जाता है

इसी प्रकार व्यक्तिगत कारोबार वाली फर्मों में उद्यम कर के मुनाफा कमाने वाले रूप में आर्थिक समाज को भी नागरिक समाज के दायरे से बाहर माना जाता है।

नागरिक समाज को राजनीतिक समाज से भी भिन्न किए जाने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों तथा अभियान दलों तथा संगठनों द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त संगठनों जो कि राज्य के नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए आकांक्षा रखते हैं उनको भी नागरिक समाज से भिन्न समझा जाना चाहिए

नागरिक समाज की उल्लेखनीय विशेषताएं

डायमण्ड के अनुसार नागरिक समाज राज्य की शक्ति की सीमा के लिए आधार उपलब्ध कराता है और उदारवादी राज्यों को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित कार्यों द्वारा सहायता करता है :

(1) नागरिक समाज राजनीतिक शक्ति को नियमित और

(2) यह राजनीतिक नेतृत्व को भर्ती के आधार पर तैयार करता है तथा उन्हें प्रशिक्षत करता है।

(3) यह राजनीतिक भागीदारी के लिए उत्साह उत्पन्न करता है।

(4) यह प्रजातांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देता है।

(5) यह समाज के विवादों को सुलझाने व समाधान करने के उपाय प्रस्तुत करता है।

(6) यह आर्थिक सुधारों के लिए आवश्यक विचारों का प्रचार करता है।

(7) नागरिक समाज व्यक्ति या निजी की अपेक्षा सार्वजनिक लक्ष्यों से संबंधित होता है। नागरिक समाज का लक्ष्य संगठन के रूप में शक्ति ग्रहण न कर शक्ति की संरचना में सुधार लाना होता है।

ऐतिहासिक विकास

इसका ऐतिहासिक विकास अत्यंत शीघ्रता से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ, क्योंकि साम्यवादी देशों में राज्य का वर्चस्व था और केवल एक साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। अतएव नागरिकों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का

प्रजातंत्रवादी राज्यों में धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन कार्य के अनुसार संगठित होते थे, परंतु साम्यवादी राज्यों में इनको रोका जाता था। अतएव जनता में असंतोष उत्पन्न हो गया और यह असंतोष निरंतर बढ़ता ही चला गया। अतएव सोवियत यूनियन तथा उसके अधीन पूर्वी यूरोप के देशों में

असंतोष बढ़ा कि वे सोवियत यूनियन से पृथक हो गए और सोवियत यूनियन स्वयं 16 देशों में बिखर गया अतएव अब नागरिक समाज का प्रभाव बहुत अधिक माना जाने लगा है।

Dr. Vini Sharma

लोकतंत्र और नागरिक समाज

प्रजातंत्र या लोकतंत्र तथा नागरिक समाज एक दूसरे से संबंधित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र स्वयंसेवी संगठनों की विविधता तथा समृद्धि से टिकाऊ हो गया है। स्वयंसेवी संगठनों ने विश्वास, सहनशीलता तथा समझौते जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में सहयोग दिया है।

रूस में नागरिक समाज का दमन किया जाता था। अतः यह उसके पतन का कारण बना।

Dr.Vini Sharma

लोकतंत्र और नागरिक समाज जुड़वा जैसे हैं : वे एक - दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य उदारवादी लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र को ऐसी जनता के समर्थन की आवश्यकता है जो " लोकतंत्र के लिए संगठित हैं, उसके सिद्धांतों तथा मूल्यों के लिए समाजीकृत है तथा केवल लुभावने संकीर्ण हितों मात्र के लिए ही वचनबद्ध नहीं है बल्कि अपेक्षाकृत बड़े सामान्य नागरिक उद्देश्य के लिए वचनबद्ध है।"

Dr.Vini Sharma

राजनीतिक सहभागिता को प्रेरित करने में दलों की भूमिका का पूरक बनता है, राजनीतिक सक्षमता और लोकतांत्रिक कौशलों को बढ़ाता है। लोकतंत्र में जनसाधारण को शिक्षित करता है।

राजनीतिक दल के बाहर मल्टी चैनलों की संरचना तैयार करता है और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें समग्र रूप में अभिव्यक्त करता है और उनके हितों को बोधगम्य बनने के लिए शक्ति प्रदान करता है।

विभिन्न वर्गों के व्यापाक हितों को पैदा करता है और राजनीतिक संघर्ष के ध्रुवीकरण द्वारा समाप्त करता है।

नए राजनीतिक नेताओं को भर्ती करता है तथा उन्हें प्रशिक्षित करता है।

संघर्ष की मध्यस्थता तथा उनके समाधान के लिए तकनीकों का विकास करता है।

नागरिकों का सम्मान करता है।

आर्थिक सुधार के लिए आवश्यक विचारों को प्रसार करता है।

नागरिक समाज के विकास में विभिन्न व्यक्तियों ने और विचारकों ने योगदान दिया है। रोमन साम्राज्य में इसके विकास का आरम्भ हुआ।

श्रेष्ठ राजनीतिक अर्थशास्त्री **एडम स्मिथ** ने राज्य के नागरिक समाज के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसने व्यक्तिवाद, सम्पत्ति तथा बाजार को प्राथमिकता देकर नागरिक समाज का विकास किया तथा राज्य की शक्ति की सीमायें निर्धारित की।

हेजल : नागरिक समाज और राज्य - हेजल ने नागरिक समाज को पृथक पहचान दी तथा इसे आर्थिक व्यवस्था से अलग माना। अतः धार्मिक संगठन तथा अन्य सभी संगठन नागरिक समाज के अन्तर्गत माने

नागरिक समाज के बारे में मार्क्स के विचार - मार्क्स का कथन है कि नागरिक समाज बुर्जुआ वर्ग के साथ आया तथा उसके अनुसार यह झगड़ों तथा विवादों की जड़ है, जिनकी अभिव्यक्ति प्रतिस्पर्धा, अहंकार और निजीकरण के रूप में होती है। उसने वास्तविक मानवता पर आधारित समाज की धारणा प्रस्तुत की है और

नागरिक समाज के बारे में ग्रामस्की के विचार -

ग्रामस्की के अनुसार नागरिक समाज वर्चस्व तथा आधिपत्य का एक भाग है, जिसमें राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों नेतृत्व निहित होते हैं। ग्रामस्की ने नागरिक समाज की भूमिका को महत्व दिया है।

व्यवहार के नियमों से परिचित कराती है और उन्हें यह शिक्षा देती हैं कि शासक वर्ग के प्रति स्वाभाविक सम्मान का भाव रखना चाहिए। बुर्जुआ समाज अपनी स्थिरता के लिए नागरिक समाज की संरचनाओं पर आश्रित होते हैं। अत: यदि कहीं नागरिक समाज असहमति प्रकट

करता है, तो उसके दमन के लिए बल प्रयोग किया जाता है। यह बल प्रयोग बुर्जुआ वर्ग के पक्ष में राज्य द्वारा सेना, पुलिस, न्यायालयों और अधिकारियों के द्वारा किया जाता है।

नागरिक समाज

हाल के वर्षों में ***जमीनी राजनीति और जनान्दोलनों को समझने के लिए तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएँ दी गई है -***

सिविल सोसायटी (नागरिक समाज), पोलिटिकल सोसायटी (राजनीतिक समाज), और क्रिएटिव सोसायटी (सृजनात्मक समाज)।

ये तीनों अवधारणाएँ ग्लोबलाइजेशन के बाद पनपी यह विभिन्न प्रवृत्तियों को एक सैद्धांतिक जामा पहनाने की कोशिश मात्र ही नहीं हैं बल्कि इन अवधारणाओं के जरिए भारतीय लोकतंत्र में जन - प्रतिभागिता के दायरे को समझने का प्रयास भी निहित है।

नागरिक समाज की अवधारणा

पहला- गत एक वर्ष में मीडिया से लेकर सरकार तक ने सिविल सोसायटी शब्द को एक वैधानिक और स्वीकृति स्वरूप दे दिया है। ऐसे में जरूरी है कि मीडिया के तात्कालिक इस्तेमाल से परे जाकर सिविल सोसायटी शब्द

दूसरा - पश्चिमी विश्व और विशेषकर यूरोप में जन्मे आधुनिक राजनीतिक चिंतन में सिविल सोसायटी की अवधारणा के जरिये उस दायरे को समझा जाता रहा है जो राज्य, बाजार और परिवार जेसी स्थापित संस्थाओं के बाहर है और जहाँ सामाजिक सरोकार निर्मित होते हैं.

ग्लोबलाइजेशन के बाद से सिविल सोसायटी की इस पश्चिमी समझ में भी बदलाव आया है.

अब सिविल सोसायटी के कई पर्यायवाची स्वरूप उपलब्ध है, जैसे थर्ड सेक्टर और एन जी ओ. ऐसे में 'सिविल सोसायटी' की जो परिभाषा भारत में प्रचलित हुई है उसके अनुसार सिविल

जहाँ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विलुप्त ह
के बाद राज्य द्वारा किये जाने वाले उन सार्वजनिक कर्तव्य
को निर्वाह होता है जो विकास और जन हित से जुड़ते है।
दूसरे शब्दों में कहें तो सिविल सोसायटी उन निजी संस्थाअ
का समूह माना गया है जो सरकारी और निजी क्षेत्र से
आर्थिक

संसाधन जुटा कर शिक्षा, स्वास्थ्य, और सार्वजनिक हित के अन्य विषयों पर काम करते हैं।

उल्लेखनीय बात यह है कि हाल के कुछ वर्षों में सिविल सोसायटी की यह मोटी समझ बदलने लगी है।

अब सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलन और जन - संघर्ष, सिविल सोसायटी के अभिन्न अंग माने जाने लगे हैं। इस सब का शुरुआत हुई पर्यावरण आन्दोलनों से और जल्द ही महिला सशक्तिकरण, दलित अस्मिता और साम्प्रदायिकता विरोधी आंदोलन सिविल सोसायटी की परिधि में आते चले गए।

रामदेव और अन्ना हजारे का आन्दोलन इस श्रंखला की सबसे नयी कड़ी है।

भारत में सिविल सोसायटी को समझने के अब तक कई महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। परन्तु मूल रुप से इस प्रयासों में सिविल सोसायटी संस्थाओं की गिनती और सर्वेक्षण पर ही बल दिया जाता रहा है।

नागरिक समाज की समस्या

लेकिन सिविल सोसायटी की अवधारणा की दो प्रमुख समस्याएं हैं - ***पहला*** - सिविल सोसायटी की बात करने वाले उतर औपनिवेशिक भारत में जन्मीं राजनीतिक विविधताओं को नजर अंदाज कर देते हैं। यह विश्लेषण हमें यह नहीं बताता कि पश्चिम में जिस परिघटना को सिविल सोसायटी कहा जाता रहा है,

वह हमारे यहाँ की विशिष्टताओं को किन अर्थों में अवधारणाकर्त करने में सक्षम है। यही कारण है कि सिविल सोसायटी के नाम पर जो भी साहित्य उपलब्ध है वह महज एक कमजोर सर्वेक्षण से ज्यादा और कुछ भी नहीं है।

दूसरी समस्या सिविल सोसायटी की अवधारणा के आन्तरिक अन्तरविरोधों की है। स्वयंसेवी संस्थाओं, जमीनी संगठनों, फंडिंग आर्गेनाइजेशंस, और संगठित आन्दोलनों में कई बुनियादी सैद्धांतिक फर्क है, जिनकी पहचान किये बगैर यह